an>

Title: Need to impress upon Government of Rajasthan to withdraw circulars issued by the State Government relating to issuance of castes certificates having 'Meena' surname.

**श्री हरीश मीना (दौसा)** ः मैं मीना (ख्ग्ए) जनजाति के व्यक्तियों को जनजाति प्रमाण-पत्र बनवाने में हो रही असुविधाओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत के संविधान द्वारा राजस्थान में रहने वाली सम्पूर्ण मीना (MINA) जाति को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956 के तहत जनजाति की सूची में शामिल किया गया था लेकिन राजस्थान में ""न"" को ""ण"" के रूप में उच्चारित करने के कारण वर्ष 1976 के बाद से ही राजस्थान सरकार के राजस्व अधिकारी इस जाति के लोगों को मीना (MINA) / मीणा (MEENA) दोनों दोनों ही शब्दों में जनजाति प्रमाण-पत्र बनाते रहे हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से ""न"" और ""ण"" में विभेद को मुद्दा बनाकर कुछ लोगों ने यह मामला न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार ने सामाजिक अधिकारिता विभाग के आदेश दिनांक 30.09.2014 एवं 23.12.2014 के माध्यम से पूर्व मीणा (ग्EEग्ए) के नाम से जो त्रुटिपूर्ण जनजाति प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारियों ने बना दिये थे, उनको संशोधित करने पर रोक लगा दी है।

उपरोक्त दोनों आदेशों के चलते मीना (MINA) जनजाति के विद्यार्थियों, बेरोज़गारों, किसानों को अनावश्यक रूप से परेशानी उठानी पड़ रही है जबकि मीना (MINA) /मीणा (MEENA)एक ही जाति है जो सम्पूर्ण राजस्थान में निवास करती है।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह राजस्थान सरकार को उपरोक्त दोनों आदेशों को निरस्त करने के आदेश जारी करने की कृपा करे और जिनको भी जनजाति प्रमाण-पत्र पूर्व में मीणा (MEENA) नाम से राजस्व अधिकारियों ने बना दिये हैं, उन्हें यथाशीघ्र संशोधित किया जाए और भविष्य में अनुसूचित जनजाति सूची के अनुसार ""मीना"" (MINA) शब्दों से ही जाति प्रमाण-पत्र जारी किए जाएं।